बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या 8/कृ०नि०यो०वि०–100/14 5952 कृ०/पटना, दिनांक 29-12-2014.

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव, कृषि विभाग।

सेवा में,

निदेशक (कृषि)/निदेशक (उद्यान)/निदेशक (भूमि संरक्षण)/
निदेशक (बामेती)/निदेशक (पी०पी०एम०)/
सभी योजना के नोडल पदाधिकारी, कृषि निदेशालय/
उद्यान निदेशालय/भूमि संरक्षण निदेशालय,
बिहार, पटना।

विषय :– **कृषि विभाग की योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में।**

महाशय,

सुशासन के कार्यक्रम 2010–15 के अंतर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी नीतियों को लागू करने तथा इसका कार्यान्वयन करने के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या 1717 एवं 1751 दिनांक 15/22.12.2010 में यह प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी आबादी के अनुरूप विभिन्न योजना मद में धनराशि "Special Component Plan" के रूप में कर्णांकित की जाएगी।

2. कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय की समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मार्गनिर्देश समय–समय पर राज्य स्तरीय बैठकों में दिया जाता रहा है।

3. अनुरोध है कि विभाग की सभी योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के लाभान्वितों का समुचित आच्छादन सुनिश्चित किया जाय।

4. इस संबंध में जारी किये जाने वाले आदेश की प्रति बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना को भी ससमय उपलब्ध करायी जाय।

विश्वासभाजन

27/12

(अमृत लाल मीणा),
प्रधान सचिव, कृषि विभाग

(39)

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 अग्रहायण 1932 (श0), (सं0 पटना 782) पटना, वृहस्पतिवार 16 दिसम्बर 2010
एवं
1 पौष 1932 (श0), (सं0 पटना 796) पटना, बुधवार 22 दिसम्बर 2010

सं0 5 / मं0मं0स0(ज0शि0) विविध-05 / 2010-1717 एवं 1751

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संकल्प

15 / 22 दिसम्बर 2010

विषय :– **सुशासन के कार्यक्रम (2010–2015) के अंतर्गत विकासात्मक एवं लोक–कल्याणकारी कार्यक्रम नीति को लागू करने एवं इसके अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में।**

वर्ष 2010 के विधान सभा निर्वाचन एवं नई सरकार के गठन के पश्चात् न्यूनतम साक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत **''न्याय के साथ विकास''** के संकल्प को दुहराते हुए आगामी

अल्पसंख्यक कल्याण

1. राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी।
2. राज्य में कब्रिस्तान घेराबंदी के अंतर्गत बचे हुए कब्रिस्तानों की घेराबंदी समयबद्ध ढंग से करायी जाएगी।
3. अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत एक स्वतंत्र निदेशालय बनाया जाएगा।
4. अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी आबादी के अनुरूप विभिन्न योजना मद में धनराशि ''स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान'' के रूप में कर्णांकित की जाएगी।
5. उर्दू पत्र–पत्रिकाओं के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाएगी।
6. बुनकरों के कल्याणार्थ हर बड़ी बुनकर आबादी में एक औद्योगिक हब बनाया जाएगा, जहाँ ऋण और अन्य आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करायी जाएंगी।
7. वक्फ बोर्ड के प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा तथा वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
8. सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापन किया जाएगा।
9. मदरसा शिक्षा की उच्चतर गुणवत्ता हेतु इसे आधुनिक तकनीकी और कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ा जाएगा।
10. मदरसा शिक्षा से जुड़े शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी और आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएंगे।
11. प्राथमिक और मध्य–विद्यालयों में बंगला भाषी विद्यार्थियों की संख्या के